Seventeenth Loksabha

>

Title: Request government to arrange the facility of Electric crematorium at Harishchandra ghat and Mani Karnika ghat in Varanasi and provide benefits of government schemes to the Dom caste people. involved in creametion of dead bodies.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में गंगा नदी के किनारे बसे हुए दो प्रमुख घाट हरिशचन्द्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर बसे हुए डोम समाज के जीवन की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ । सन् 2011 के अनुसार की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या एक लाख 10,353 है । ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसमें सबसे बड़ी भूमिका डोम समाज की होती है, जिन्हें कीपर्स ऑफ द होली फ्लेम कहा जाता है कि पवित्र अग्नि के वे रखवाले हैं । लेकिन दुर्भाग्य है कि मृत्यु को गरिमा प्रदान करने वाले डोम समाज के इन लोगों को आज भी हमारे समाज में अस्पर्श्य और अछूत समझा जाता है । उनके काम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है । उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों से भी वंचित रखा जाता है । डोम समाज की युवा पीढ़ी जो इस काम को नहीं करना चाहती है, उन्हें दूसरे किसी काम के मौके नहीं मिलते हैं । यही काम करने के लिए उन्हें विविश किया जाता है । जिन शवदाह स्थलों पर वे काम करते हैं, वहां बहुत सारी चुनौतियां होती हैं । शवों के जलने से जो धुंआ उत्पन्न होता है, उससे इन लोगों के फेफड़ों के तमाम रोग होते हैं । इस प्रक्रिया में उठने वाली दुर्गंध से बचने के लिए छोटी उम्र में डोम समाज के बच्चों और युवाओं को ड्रग्स और शराब की आदत पड़ जाती है, क्योंकि नशे के कारण उनकी सेंसस नम हो जाते हैं और उस दुर्गंध में वे काम कर पाते हैं । मेरा सरकार से यह आग्रह है कि बनारस के इन दो प्रमुख घाटों पर – हरीशचन्द्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर इलैक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की व्यवस्था की जाए, जो पर्यावरण के भी अनुकूल है और

सामाजिक परंपरा की जटिल बेड़ियों को तोड़ कर लोगों को आजाद करने में भी सक्षम हैं । इसके साथ ही मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि डोम समाज के लोगों को सरकार की तमाम योजनाओं जैसे - प्रधान मंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत योजना आदि सभी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सूले को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।